प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तरिपन '

[28/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 2132]

परिशिष्ट–1

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2132

द्वारा माननीय विधायक श्रीमती शकुन्तला खटीक के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्मित कौशल विकास नीति 2012 के उद्देश्य निम्नानुसार :

1. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की उत्तरोत्तर उन्नति हेतु समर्थ वातावरण उपलब्ध कराना।
2. प्रदेश के समस्त संबंधित पणधारियों (Stakeholders) को सम्मिलित करते हुए तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण में विस्तार को सुनिश्चित करना।
3. तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण में नवाचार तथा शासकीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन में अधिक से अधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
4. आवश्यकतामूलक आधार पर विकास हेतु शैक्षणिक अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
5. विद्यालय छोड़ चुके, वर्तमान में कार्यरत् श्रमिकों, बाल श्रमिकों तथा ऐसे श्रमिक जो पूर्व से ही अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यो को संपादित कर रहे है किन्तु उनकी दक्षता का प्रमाणीकरण नही है, के प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के अवसर उपलब्ध कराना।
6. परस्पर हितों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के उद्योगों से लिंकेज को सुदृढ़ करना।
7. उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप निरन्तर पाठ्यक्रमों के माध्यमों से कौशल उन्नयन करना एवं उदीयमान क्षेत्रो में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
8. भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाना।
9. तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन के प्रयास करना।
10. तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की ऐसी अधोसंरचना का विकास करना, जो कि अन्य विभागों के द्वारा भी उनकी प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में लाई जा सके।
11. व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय कुशलताओं का उन्नयन करना।
12. छात्रों को विश्वस्तरीय कौशल प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना।
13. समाज के समस्त वर्गों को सम्मिलित करते हुए कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर बिना लिंगभेद के उपलब्ध कराना।
14. तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रबंधन की पारदर्शी एवं त्वरित आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
15. राज्य सरकार एनवीईक्यूएफ (नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) को राज्य में लागू करने के लिए प्रदेश स्थित संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी एवं उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी।
16. दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाईन पद्धति से शिक्षण हेतु डिजीटल स्वरूप में पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना।
17. संस्थाओं को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रत्यायोजन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(आर.के.ऑस्टिन)
उपसंचालक
मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं
प्रशिक्षण परिषद, भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट–2

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2132

द्वारा माननीय विधायक श्रीमती शकुन्तला खटीक के प्रश्नांश (ग एवं घ) का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्मित कौशल विकास नीति 2012 के लागू होने के पश्चात शिवपुरी में कोई भी कौशल विकास केन्द्र नहीं खोला गया। नीति लागू होने के पूर्व वर्ष 2011 में निम्न विवरण अनुसार कौशल विकास केन्द्र खोले गए :

स.क्र.	कौशल विकास केन्द्र का नाम	व्यवसाय	विधानसभा क्षेत्र
1.	कौशल विकास केन्द्र, करेरा	प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक, ड्राइवर कम मैकेनिक, वेब डिजायनिंग एण्ड पब्लिशिंग असिसटेंट	करैरा
2.	कौशल विकास केन्द्र, नरवर	प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक, ड्राइवर कम मैकेनिक, वेब डिजायनिंग एण्ड पब्लिशिंग असिसटेंट	करैरा

(आर.के.ऑस्टिन)
उपसंचालक
मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं
प्रशिक्षण परिषद, भोपाल (म.प्र.)